68 वी बोर्ड बैठक
दिनांक - 14-07-2003
का
कार्य - वृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.7.03 का कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 68वीं बैठक दिनांक 14.7.03 को आयुक्त कार्यालय, मेरठ मण्डल के सभाकक्ष में अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण,मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे प्रारम्भ हुई । सर्वप्रथम सचिव द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे :–

1–	श्री एन0एस0रवि आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2–	श्री प्रभात मित्तल उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण,मेरठ	उपाध्यक्ष
3–	श्री अमित मोहन प्रसाद जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
4–	श्री आर0के0गोयल, अपर निदेशक, उद्योग मेरठ	सदस्य
5–	श्री अनिल राज कुमार नगर आयुक्त नगर निगम, मेरठ	सदस्य
6–	श्री अतुल कुमार सिंह संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन, मेरठ (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, वित्त,उ0प्र0शासन,लखनऊ)	सदस्य
7–	श्री राजपाल कौशिक सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि– मुंख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ)	सदस्य
8–	श्री व्राई0पी0शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता जल निगम, मेरठ (प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0शासन) लखनऊ	सदस्य
9–	श्री राजेश्वर दयाल, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत–नगर, मेरठ (प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, पावर कार्पोरेशन,लखनऊ)	सदस्य

10–	श्री मंगल सैन पार्षद, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
11–	श्री राजकुमार सिंह, पार्षद, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
12–	श्री मौहम्मद अब्बास, पार्षद, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
13–	श्री जाहिद अंसारी, पार्षद, नगर निगम, मेरठ	सदस्य
14–	श्री अभय कुमार बाजपेयी सचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

मद संख्या–1

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध आवासीय भूमि को आवासीय सेक्टर दर/बल्क आवासीय भूमि दर पर निविदा सह–नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव

सर्व प्रथम सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि माह सितम्बर, 2003 में 38 करोड़ रु0 की धनराशि का हुडको को भुगतान किया जाना है तथा गंगा नगर आवासीय योजना के प्रभावित कृषकों के साथ हुए समझौते के क्रम में माह जौलाई से अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान प्रारम्भ हो जायेगा जिसके लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पल्लवपुरम, डिफैन्स एन्कलेव, श्रृद्धापुरी एवं सैनिक विहार आवासीय योजनाओं हेतु अधिग्रहीत भूमि के संबंध में दिनांक 30.4.97 को दिये गये निर्णय के अनुपालन में इजराय वादों में माननीय जनपदीय न्यायालयों द्वारा प्राधिकरण के कुर्क किये गये खातों के सापेक्ष भी लगभग 16 करोड़ रु0 की धनराशि का भुगतान आगामी माहों में किया जाना है। चूंकि अल्प समय में अत्यधिक धनराशि का भुगतान किया जाना है इसलिए आवासीय भूमि के बल्क विक्रय का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं में रिक्त पड़ी भूमि को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि रिक्त पड़े भूखण्डों की आरक्षित बल्क दरों का निर्धारण निम्न आधार पर किया जाये :–

(अ) एक एकड़ क्षेत्रफल तक के भूखण्डों के लिए आरक्षित दर योजना की प्रचलित आवासीय दर मानी जाये।

(ब) एक एकड़ से अधिक तीन एकड़ तक क्षेत्रफल तक के भूखण्डों के लिए आरक्षित दर योजना की प्रचलित आवासीय दर का 70 प्रतिशत मानी जाये।

(स) तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के लिए निम्न फार्मूला पर आरक्षित दर का आंकलन किया जाये।

"योजना की प्रचलित आवासीय दर पर 65 प्रतिशत सेलेबल एरिया पर दरों की गणना कर आयी दरों में से आन्तरिक विकास पर हुए व्ययों की धनराशि घटा कर प्राप्त दरों को आरक्षित बल्क दरें मानी जायें। चूंकि योजना में वाह्य विकास एवं आन्तरिक विकास पर हुए व्ययों का प्रथक–प्रथक विवरण प्राधिकरण कार्यालय उपलब्ध नहीं है अतः 60:40 के अनुपात में वाह्य एवं आन्तरिक विकास पर हुए व्यय की गणना की जाये।

अध्यक्ष

विचारोपरान्त निम्नलिखित भूखण्डों के संबंध में निविदा सह नीलामी के आधार पर उपरोक्तानुसार आरक्षित बल्क दरों की गणना करते हुए विक्रय की कार्यवाही किये जाने का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया :–

(क) गंगा नगर आवासीय योजना

क–1 उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के आवास हेतु लगभग 2,500 वर्ग मीटर भूमि का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रु0 2295.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुमोदन प्रदान किया गया। इस भूखण्ड पर हुएं निर्माण की वास्तविक लागत भूमि के आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होगी।

क–2 गंगा नगर योजना में एच ब्लाक में पुलिस स्टेशन हेतु आरक्षित 4072 वर्ग मीटर भूमि के स्थान पर जी0पी0 पाकेट से लगी हुई 800 वर्ग मीटर भूमि जो कि मुख्य मार्ग पर स्थित है, को पुलिस स्टेशन हेतु दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदिन करते हुए ले-आउट में तदनुसार संशोधन की अनुमति प्रदान की गयी। साथ ही 4,072 वर्ग मीटर भूमि को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय करने हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य अंकन रु0 2295 प्रति वर्ग मीटर पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

क–3 गंगा नगर आवासीय योजना में पाकेट सी में आई०आई०एम०टी कालेज के निकट ३००० वर्ग मीटर ''कम्यूनिटी हाल'' हेतु तथा ८००० वर्ग मीटर भूमि हाईस्कूल/इण्टर कालेज हेतु आरक्षित भूमि को बल्क में विक्रय के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त इस आशय का निर्णय लिया गया कि कम्यूनिटी हाल हेतु आरक्षित भूमि को बल्क में विक्रय किये जाने का प्रस्ताव उचित नहीं है। गंगा नगर आवासीय योजना में पर्याप्त स्कूल/कालेज की स्थापना के दृष्टिगत ८००० वर्ग मीटर भूमि जो कि हाईस्कूल/इण्टर कालेज हेतु आरक्षित है, को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि हाईस्कूल/इण्टर कालेज हेतु गंगानगर फेस-२ की २०४ एकड़ भूमि में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जायेगी। बोर्ड द्वारा ८००० वर्ग मीटर भूमि के लिए आरक्षित दर १६१० रु० प्रति वर्ग मीटर का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

क-४ गंगा नगर आवासीय योजना में दूर संचार कालोनी से लगी हुई लगभग ६६३५ वर्ग मीटर भूमि के बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त इस भूखण्ड को लगभग २ बराबर भागों में विभक्त करते हुए प्रथक-प्रथक निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस प्रकार विभक्त उक्त दोनों भूखण्डों हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य २२६५ रु० प्रति वर्ग मीटर प्रत्येक निर्धारित किया गया।

क-५ गंगा नगर आवासीय योजना के पाकेट पी में १०६५८ वर्ग मीटर ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित भूमि को बल्क में विक्रय करने तथा ग्रुप हाउसिंग के साथ-साथ रो हाउसिंग, डुप्लैक्स भवन व प्लाटेड डवलपमैंट की भी अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय

उपाध्यक्ष

सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त महायोजना में निर्धारित आवासीय घनत्व की शर्त के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि आवंटी/क्रेता द्वारा जो भी योजना प्रस्तावित की जायेगी, उसमें यथा संशोधित भवन उपविधि २००० के मानकों के अनुसार स्वीकृति देने से पूर्व परीक्षण किया जायेगा। प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा इस भूखण्ड की न्यूनतम आरक्षित दर १६१० रु० प्रति वर्ग मीटर के प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

ख- <u>वेदव्यासपुरी आवासीय योजना</u>

ख-१ वेदव्यासपुरी योजना अन्तर्गत ३८,४५० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में विक्रय किये जाने तथा ग्रुप हाउसिंग के साथ-साथ रो हाउसिंग/डुपलैक्स/प्लाटेड डवलपमेन्ट की भी अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त महायोजना में निर्धारित आवासीय घनत्व की शर्त के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि आवंटी/क्रेता द्वारा जो भी योजना प्रस्तावित की जायेगी, उसमें यथा संशोधित भवन उपविधि २००० के मानकों के अनुसार स्वीकृति देने से पूर्व परीक्षण किया जायेगा। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्ड की न्यूनतम आरक्षित दर रू० १४१०.०० प्रति वर्ग मीटर के प्रस्ताव का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

ख-२ वेदव्यासपुरी के सेक्टर-४ में लगभग ८२ एकड़ में से लगभग ६२,४३० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदित करते हुए इस भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित दर रू० १४१०.०० प्रति वर्ग मीटर की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

ग- <u>सैनिक विहार आवासीय योजना</u>

ग-१ इस योजनी के अन्तर्गत पाकेट बी में ग्रुप हाउसिंग हेतु आरक्षित लगभग १६,८०० वर्ग मीटर भूमि को ग्रुप हाउसिंग के साथ-साथ रो हाउसिंग/डुपलैक्स/प्लाटेड डवलपमेन्ट की भी अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त महायोजना में निर्धारित आवासीय घनत्व की शर्त के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि आवंटी/क्रेता द्वारा जो भी योजना प्रस्तावित की जायेगी, उसमें यथा संशोधित भवन उपविधि २००० के मानकों के अनुसार स्वीकृति देने से पूर्व परीक्षण किया जायेगा। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्ड की न्यूनतम आरक्षित दर रू० १५१०.०० प्रति वर्ग मीटर पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

ग-२ इस योजना के अन्तर्गत पाकेट बी में २८१० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा इस भूखण्ड के आबादी के बीचो-बीच स्थित होने के कारण बल्क में विक्रय के लिए उपयुक्त न पाते

हुए अपेक्षा की गयी कि इस भूखण्ड पर आश्रयहीन योजना तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों का निर्माण कराया जाये।

घ- श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेस-द्वितीय

घ-१. इस योजना के अन्तर्गत बाईपास मार्ग से लगी हुयी लगभग २० एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में १४,५०० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के निकट यू०पी०एस०आर०टी०सी० के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा बाईपास से लगी हुई इस स्थल पर ३००० वर्ग मीटर भूमि रोडवेज बस स्टेन्ड के निर्माण हेतु स्कूल/संस्थाओ के लिए लागू रियायती दरों की भांति आवंटन का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा १४,५०० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए इस भूमि हेतु न्यूनतम आरक्षित भूमि दर रू० १५१०.०० प्रति वर्ग मीटर पर भी सहमति प्रदान की गयी। साथ ही प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज बस स्टैण्ड हेतु बाईपास पर इस स्थल पर ३००० वर्ग मीटर भूमि आवासीय दरों के ५० प्रतिशत पर दिये जाने का भी निर्णय लिया गया।

य- शताब्दी नगर आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत सेक्टर ४ बी में लगभग ३२,००० वर्ग मीटर भूमि को बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा उपरान्त डैफर करने का निर्णय लिया गया।

र- लोहिया नगर आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत पाकेट ए में लगभग १६,४२० वर्ग मीटर भूमि बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा उपयुक्त पाते हुए अनुमोदन प्रदान करने के साथ-साथ इस भूमि के विक्रय हेतु न्यूनतम आरक्षित दर रू० ११२०.०० प्रति वर्ग मीटर की भी स्वीकृति प्रदान की गयी।

अंत में बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त इस बात पर पुनः बल दिया गया कि उक्त भूखण्डों को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से उपरोक्तानुसार निर्धारित आरक्षित दरों पर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पारदर्शिता बरतते हुए विक्रय की कार्यवाही की जाये।

इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों को बल्क में विक्रय का विज्ञापन दैनिक जागरण, मेरठ अमर उजाला, मेरठ व हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली,(अंग्रेजी

अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

संस्करण) समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये। बोर्ड द्वारा इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डों के विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई छूट अथवा डिस्काउन्ट देय नहीं होगा तथा उक्त भूखण्डों के आवंटी/क्रेताओं द्वारा आवंटन की तिथि के ३० दिन के अंदर एक मुश्त समस्त भुगतान करने की शर्त रखी जाये तथा शत प्रतिशत भुगतान होने के पश्चात ही आवंटी/क्रेता को कब्जा दिया जाये। नीलामी-सह-निविदा समिति का गठन अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जायेगा।

मद संख्या-२

मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध व्यवसायिक भूमि को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव

प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में उपलब्ध व्यावसायिक भूखण्डों को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जायेगा। शासनादेश संख्या ८३२/९-आ-१-९९ दिनांक १५ मार्च, १९९९ के अनुसार सेक्टर आवासीय दर का सवा गुना करते हुए विक्रय किये जाने हेतु व्यावसायिक भूखण्डों की न्यूनतम आरक्षित दरों का निर्धारण निम्नानुसार गणना कर किया जाये।

१. एक एकड़ क्षेत्रफल तक के व्यवसायिक भूखण्डों के लिए आरक्षित दर योजना की प्रचलित आवासीय दर का सवा गुना करते हुए मास्टर प्लान रोड फेसिंग चार्ज, कार्नर चार्ज तथा पार्क फेसिंग आदि की यदि कोई देयता होती है, को सम्मिलित करते हुए निर्धारित किया जाये।

२. एक एकड़ से अधिक ३ एकड़ तक के क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों के लिए योजना की प्रचलित आवासीय दर का सवा गुना करते हुए आरक्षित दर निर्धारित की जाये।

३. तीन एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों के लिए निम्न फार्मूला पर आरक्षित दर का आंकलन किया जाये।

"योजना की प्रचलित आवासीय सैक्टर दर का १.२५ गुना करते हुए ६५ प्रतिशत सैलेबिल एरिया पर दरों की गणना कर आयी दरों में से आंतरिक विकास पर हुए व्ययों की धनराशि घटा कर प्राप्त दरों की आरक्षित बल्क आवासीय दरें मानी जायें।"

बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त निम्नलिखित व्यावसायिक भूखण्डों का विक्रय निविदा सह-नीलामी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया। :-

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण

क-१ <u>शताब्दी नगर आवासीय योजना</u>

इस योजना में वासु आटोमोबाइल्स से लगे हुये दिल्ली-मोटर रोड़ मार्ग पर उपलब्ध दो भूखण्ड क्रमशः २५००.०० व २५२५.०० वर्ग मीटर के विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन भूखण्डों की न्यूनतम आरक्षित दर क्रमशः रू0 २६१०.०० व रु0 २८४०.०० प्रति वर्ग मीटर रखे जाने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गयी। इन भूखण्डों पर निर्मित स्ट्रक्चर्स का डेप्रीशियेटेड मूल्य भूमि के मूल्य के अतिरिक्त होगा। जिलाधिकारी, मेरठ के इन भूखण्डों का विज्ञापन" शॉपिंग माल के रुप में आकर्षक ढंग से किया जाने के प्रस्ताव पर भी बोर्ड के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

क-२ इस योजना में मुख्य दिल्ली मोटर मार्ग के पास उपलब्ध ३२ ,००० वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखण्ड को बल्क में विक्रय किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए इस भूखण्ड की न्यूनतम आरक्षित दर १४६० रु0 प्रति वर्ग मीटर रखे जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

ख- <u>रक्षापुरम आवासीय योजना</u>

ख-१ इस योजना के अन्तर्गत मेरठ-मवाना मार्ग पर लगभग १८८२० वर्ग मीटर व्यावसायिक भूमि में से ४४६५ वर्ग मीटर भूमि को बल्क में व्यावसायिक के रुप में विक्रय किये जाने एवं इस इस भूखण्ड के पीछे स्थित ६८०० वर्ग मीटर भूमि का प्रयोजन "व्यावसायिक" के स्थान पर "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अनुमति प्रदान करते हुए इस आशय की अपेक्षा की गयी कि ४४६५ वर्ग मीटर भूमि का विक्रय मल्टीप्लैक्स के लिए ही किया जाये तथा ६८०० वर्ग मीटर भूमि में से सड़क से लगी हुई कुछ भूमि कन्वीनियेन्ट शाप हेतु स्थान छोड़ते हुए शेष को आवासीय में परिवर्तित करने पर सहमति व्यक्त की गयी। बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा विचारोपरान्त व्यावसायिक भूमि का न्यूनतम आरक्षित मूल्य रू0 ३००० प्रति वर्ग मीटर तथा परिवर्तित आवासीय भूमि का न्यूनतम आरक्षित मूल्य मद संख्या-१ में स्वीकृत फार्मूले के आधार पर गणना कर निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

ख-२ इस योजना के अन्तर्गत सेक्टर-३ में १६०६ वर्ग मीटर भूमि व सेक्टर-४ में ७०० वर्ग मीटर भूमि का प्रयोजन व्यवसायिक से आवासीय करते हुए विक्रय किये जाने का प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के द्वारा विचारोपरान्त १६०६ एवं ७०० वर्ग मीटर भूमि में से सड़क से लगी हुई भूमि में कन्वीनियन्स शाप हेतु कुछ स्थान को छोड़ कर शेष भूमि का प्रयोजन व्यावसायिक से आवासीय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते

हुए अपेक्षा की गई कि इस प्रकार परिवर्तित आवासीय भूमि के विक्रय हेतु न्यूनतम आरक्षित दर की गणना मद संख्या-१ में स्वीकृत फार्मूले के अनुसार की जाये।

अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा रक्षापुरम आवासीय योजना में मेरठ क्लब से लगे हुए बड़े पार्क के बारे में स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अपेक्षा की गयी कि इस पार्क में लैण्ड स्केपिंग, एवं जोगिंग हेतु मार्ग बनाते हुए इसके सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि से करायी जाये।

अंत में बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त इस बात पर पुनः बल दिया गया कि उक्त भूखण्डों को बल्क में निविदा सह नीलामी के माध्यम से उपरोकतानुसार निर्धारित दरों पर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पारदर्शिता बरतते हुए विक्रय की कार्यवाही की जाये। इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों को बल्क में विक्रय का विज्ञापन दैनिक जागरण, मेरठ, अमर उजाला, मेरठ व हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली, (अंग्रेजी संस्करण) समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये। इन भूखण्डों के विक्रय में किसी भी प्रकार की कोई छूट अथवा डिस्काउन्ट देय नहीं होगा तथा उक्त भूखण्डों के आवंटी/क्रेता को आवंटन की तिथि के ३० दिन के अंदर एक मुश्त समस्त भुगतान करने की शर्त रखी जाये तथा शत प्रतिशत भुगतान होने के पश्चात ही क्रेता को कब्जा दिया जाये। नीलामी-सह-निविदा समिति का गठन अध्यक्ष के अनुमोदन से किया जायेगा।

मद संख्या ३

बैंकिंग/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति लिये जाने के संबंध में।

सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वेदव्यासपुरी योजना के सभी ग्रामों, शताब्दी नगर योजना के ग्राम रिठानी, लोहिया नगर आवासीय योजना के ग्राम काजीपुर के प्रभावित कृषकों के साथ अतिरिक्त प्रतिकर के निर्धारण के संबंध में कई दौर में वार्ता हो चुकी है तथा अब इन योजनाओं के ग्रामों के प्रभावित कृषकों को अतिरिक्त प्रतिकर के निर्धारण के समझौते का प्रकरण जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित किया जा चुका है। वेद व्यासपुरी योजना के प्रभावित कृषकों एवं जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष समझौता वार्ता दिनांक ७.७.०३ को आयोजित हुई थी जिसमें वेद व्यासपुरी आवासीय योजना के प्रभावित कृषकों को २४५ रु० प्रति वर्ग गज की दर से एक मुश्त मुआवजा जिसमें सोलेशियम, अतिरिक्त धनराशि व ब्याज आदि की धनराशि भी सम्मिलित है, कतिपय शर्त के साथ भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है। अन्य योजनाओं में

भी इस प्रकार शीघ्र अंतिम निर्णय पर पहुंचने की संभावना है। इन योजनाओं में समझौता हो जाने पर अल्प समय में अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का भुगतान प्रभावित कृषकों को किये जाने हेतु प्रथक से संसाधनों को जुटाये जाने की आवश्यकता होने पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैद्धान्तिक रुप से सहमति व्यक्त की गयी।

मद संख्या-४

गंगानगर, सैनिक विहार, श्रृद्धापुरी फेस-द्वितीय एवं पल्लवपुरम आवासीय योजना में स्थित भवनों का अलोकप्रिय सम्पत्ति के रुप में चिन्हीकरण कर शासनादेश संख्या ४०४६/६-आ-१-६६/१६ समिति/१६६८ दिनांक २० नवम्बर, १६६६ के अनुसार निस्तारित किये जाने का प्रस्ताव।

गंगानगर, सैनिक विहार, श्रृद्धापुरी फेस-द्वितीय एवं पल्लवपुरम आवासीय योजना में स्थित भवनों का अलोकप्रिय सम्पत्ति के रुप में चिन्हीकरण कर शासनादेश संख्या ४०४६/६-आ-१-६६/१६ समिति/१६६८ दिनांक २० नवम्बर, १६६६ के अनुसार निस्तारित किये जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा गहन रुप से विचार किया गया। सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इन योजनाओं में अनेकों बार उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों के निस्तारण का प्रयास किया गया किन्तु इन भवनों का मूल्य बाजार मूल्य की तुलना में अधिक हो जाने के फलस्वरुप इनका विक्रय नहीं किया जा सका है। लम्बे समय से इन भवनों का विक्रय न हो पाने से इन भवनों की स्थिति भी मौके पर जीर्ण-शीर्ण होती जा रही है। सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इन भवनों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-१ के कालम ३,४,५ व ६ में भवन संख्यावार व योजनावार दिया गया है। सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा इन भवनों को अलोकप्रिय सम्पत्ति के रुप में चिन्हित कर शासनादेश दिनांक २० नवम्बर, १६६६ के अनुरुप अलोक प्रिय के रुप में मूल्यांकन करते हुए निस्तारण का प्रस्ताव अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया।

उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक २० नवम्बर १६६६ के प्रस्तर ६ में आलोकप्रिय सम्पत्ति के मूल्य के निर्धारण का विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। :-

"अलोकप्रिय सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए भूमि की वर्तमान लागत में निर्माण की वर्तमान लागत जोड़कर डेप्रीशियेशन घटाकर प्राप्त कीमत को आधार मानना चाहिए। इससे कम मूल्य रखने पर मूल्य का निर्धारण बोर्ड से स्वीकृत होना चाहिए तथा सम्पत्ति आक्शन/टैण्डर से बेचनी चाहिए।"

अलोकप्रिय सम्पत्ति की पहचान का आधार इस शासनादेश के प्रस्तर २०-ख में निम्न प्रकार से दिया गया है। :-

"अनिस्तारित सम्पत्तियां वह मानी जायें जिनकी योजनाओं में विकास कार्य मूल परियोजना में निर्धारित पूर्ण होने की अवधि से डेढ़ गुने अथवा अधिक समय तक पूरे नहीं हो पाये हैं अथवा प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशत से कम सम्पत्तियां बिक पा रही हैं ऐसी सम्पत्तियों को बेचने के लिए मौके पर प्रयास करने के बाद भी विक्रय टर्न ओवर २५ प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होना अलोकप्रिय सम्पत्ति की पहचान का आधार होना चाहिए। इस प्रकार की सम्पत्तियां बेचने की दशा में आवंटन-पत्र एवं लीज डीड में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपूर्ण विकास कार्य कराने पर होने वाला व्यय अतिरिक्त मूल्य के रुप में बाद में लिया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होनेसे पूर्व रिक्त सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण करने से पहले ही प्रस्तर-१० के अनुरुप १० प्रतिशत सम्पत्तियों की नीलामी की जायेगी। यदि इस प्रकार नीलामी के फलस्वरुप अलोकप्रिय घोषित सम्पत्तियों का विक्रय उनके लिए निर्धारित मूल्य से १० प्रतिशत अधिक दर पर होता है तो सम्पत्ति अलोकप्रिय नहीं मानी जायेगी। अलोकप्रिय सम्पत्तियों का चिन्हांकन अंतिम रुप से बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।"

सचिव, विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक २१.१२.६८ में गंगा नगर आवासीय योजना के अंतर्गत फेज-11 एवं 111 में एफ टाईप, जी० टाईप, सी टाईप व ई टाईप एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों को "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किये जाने का निर्णय लिए जाने के उपरान्त दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक २८.६.२००० को इस योजना में उच्च आय वर्ग, मिनी उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों का पंजीकरण दिनांक १.१०.२००० से ३१.१०.२००० तक खोले जाने पर मात्र १२ आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के तथा ४ अल्प आय वर्ग के एवं ११ मिनी मध्यम आय वर्ग के भवनों हेतु ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक १६.१०.२००० में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मई २००१ में इस योजना में मूल मूल्यांकन पद्धति से उच्च आय वर्ग के पाकेट-के, मध्यम आय वर्ग के पाकेट-एल, मिनी मध्यम आय वर्ग के पाकेट-जे एवं अल्प आय वर्ग के पाकेट जे के भवनों को बल्क में विक्रय हेतु "जहां है जैसा है" के आधार पर पंजीकरण खोले जाने पर मात्र उच्च आय वर्ग का-१, मध्यम आय वर्ग के-२, अल्प आय वर्ग के-७ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। पुनः इस योजनां के अंतर्गत उच्च आय वर्ग के पाकेट-एच, मिनी उच्च आय वर्ग के पाकेट एच व आई, मध्यम आय वर्ग के पाकेट-एच व एल, मिनी मध्यम आय वर्ग के पाकेट-जे एवं दुर्बल आय वर्ग के पाकेट एल के भवनों को "प्रथम आओ, प्रथम पाओ" पद्धति से दिनांक २०.३.०३ से ३१.३.०३ तक खोलने पर ई०डब्ल्यू०एस० के मात्र ३ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार स्पष्टतः विगत ३ वर्षो में प्रयास करने के उपरान्त भी उपलब्ध भवनों का विक्रय टर्न ओवर प्रति वर्ष अत्यन्त न्यून रहा। अतः गंगा नगर आवासीय योजना में संलग्नक-१ में दिये गये विवरण के अनुसार उच्च आय वर्ग के ५२, मध्यम आय वर्ग के २६ एवं आर्थिक दृष्टि से

कमजोर वर्ग के ११२ भवनों को आलोक प्रिय संपत्ति के रुप में चिन्हित किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जे/एफ पाकेट में उपलब्ध मिनी मध्यम आय वर्ग के भवनों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के इस आशय के आदेश हैं कि इन भवनों की नीलामी होने पर माननीय उच्च न्यायालय की स्वीकृति के उपरान्त ही नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक २७.८.६८ एवं २०.४.६६ के क्रम में सैनिक विहार में मध्यम आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के भवनों को छोड़कर पल्लवपुरम योजना में उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं मिनी मध्यम आय वर्ग, श्रृद्धापुरी फेज प्रथम में मध्यम आय वर्ग,श्रृद्धापुरी फेज-द्वितीय में मध्यम आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं पाण्डव नगर योजना में अल्प आय वर्ग के भवनों को मूल मूल्यांकन के आधार पर ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' पद्धति से विक्रय किये जाने में सफलता प्राप्त हुई। दिनांक १६.१०.२००० की बोर्ड बैठक में निर्णय उपरान्त पल्लवपुरम आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग प्रथम व द्वितीय, मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, श्रृद्धापुरी द्वितीय चरण में मध्यम आय वर्ग, मिनी मध्यम आय वर्ग, सैनिक विहार योजना में अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग के भवनों के लिए पुनः मूल मूल्यांकन पद्धति के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। उक्त विज्ञापन के पश्चात पल्लवपुरम आवासीय योजना में मात्र २१ भवनों हेतु, श्रृद्धापुरी आवासीय योजना में मात्र७ भवनों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

पुनः दिनांक १.१.२००१ से १५.१.२००१ तक मूल मूल्यांकन पद्धति से पल्लवपुरम, श्रृद्धापुरी फेस-द्वितीय एवं सैनिक विहार में उपलब्ध भवनों के विक्रय हेतु विज्ञापन दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्रों में क्रमशः दिनांक २७.१२.२००० एवं २८.१२.२००० में प्रकाशित हुए। पल्ल्वपुरम आवासीय योजना में उच्च आय वर्ग के २४ भवन, उच्च आय वर्ग-२ के १८ भवन, उच्च आय वर्ग-लिन्टल लेविल के ५ भवन, उच्च आय वर्ग-रूफ लेविल के ४० भवन एवं एम०आई०जी० के २ भवन, मिनी एम०आई०जी० के ५६ भवनों, मिनी एम०आई०जी० के २२ भवनों, श्रृद्धापुरी में एम०आई०जी० के १४ भवनों, मिनी एम०आई०जी० के ६७ भवनों, सैनिक विहार में एम०आई०जी के ६० भवनों, अल्प आय वर्ग के अपूर्ण छत बिना लेन्टर के २० भवनों, अल्प आय वर्ग अपूर्ण छत एवं प्लास्टर सहित ८ भवनों, अल्प आय वर्ग के अन्य २६० भवनों को इस विज्ञापन में लिया गया था।

दिनांक ११.११.२००२ से १०.१२.२००२ तक की अवधि के लिए पल्लवपुरम आवासीय योजना में एच०आई०जी० के ७ भवनों, एम०आई०जी० के १४ भवनों, मिनी एम०आई०जी० के १५ भवनों, ई०डब्ल्यू०एस० के १५७ भवनों हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे तथा इसी क्रम में दिनांक २७.२.२००३ से १५.३.२००३ तक श्रृद्धापुरी आवासीय योजना फेस-द्वितीय में दुर्बल आय वर्ग के ८८ भवनों के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे।

किन्तु इस विज्ञापन के अनुपालन में अपेक्षित रिस्पोन्स न होने पर पुनः वित्तीय वर्ष २००२-२००३ में अमर उजाला समाचार पत्र के ६.२.२००३ के अंक में ''प्रथम आओ

प्रथम पाओ'' सिद्धान्त पर तत्काल आवंटन के लिए पल्लवपुरम आवासीय योजना, श्रद्धापुरी फेस-प्रथम एवं सैनिक विहार योजना में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। पुनः दैनिक जागरण समाचार पत्र के दिनांक १२.३.२००३ के अंक में प्राधिकरण प्रागंण में माह मार्च में ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के आधार पर तत्काल आवंटन हेतु कैम्प के आयोजन का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापनों के उपरान्त भी इन योजनाओं में बने हुए भवनों के विक्रय में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पायी। अंत में सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उक्त तीनों योजनाओं में काफी समय से भवन रिक्त रहने से इनकी स्थिति जीर्ण-शीर्ण होती जा रही है तथा ब्याज आदि के कारण इन भवनों के मूल्य में अत्यधिक बढौत्तरी के फलस्वरुप बाजार मूल्य से इनकी कीमते अधिक हो गयी हैं। प्रतिवर्ष विक्रय टर्न ओवर भी अत्यन्त कम है, अतः सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इन भवनों को आलोकप्रिय सम्पत्ति घोषित करने के प्रस्ताव पर मा० सदस्यों का अनुमोदन चाहा गया।

प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों के द्वारा उपरोक्त पर विस्तृत एवं गहन चर्चा के उपरान्त गंगा नगर, सैनिक विहार, श्रृद्धापुरी फेज द्वितीय एवं पल्लवपुरम आवासीय योजना में संलग्नक-१ के कालम ३,४,५ व ६ में दिये गये विवरण के अनुसार उपलब्ध भवनों को अलोक प्रिय सम्पत्ति के रुप में चिन्हित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुए शासनादेश दिनांक २० नवम्बर, १६६६ के अनुसार इन भवनों को अलोकप्रिय सम्पत्ति के रूप में मूल्यांकन कर निस्तारित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

बोर्ड बैठक में इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक भवन का प्रथक-प्रथक मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रथमतः इन भवनों का आवंटन/विक्रय पंजीकरण कर ''जहां है जैसा है'' के आधार पर किया जायेगा तथा यदि इस पद्धति में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो बाद में इन भवनों को बल्क में विक्रय किया जा सकता है। इन भवनों के विक्रय में किसी प्रकार की कोई छूट अथवा कोई डिस्काउण्ट देय नहीं होगा तथा उक्त भवनों का पंजीकरण कर किश्तों में विक्रय/आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जाये तथा आवंटन की तिथि के ३० दिनों के अन्दर एक मुश्त समस्त भुगतान करने पर संबंधित क्रेता/आवंटी को आवंटन में वरीयता प्रदान की जाये।

अंत में बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त इस बात पर पुनः बल दिया गया कि उक्त भवनों का विक्रय/आवंटन व्यापक प्रचार-प्रसार एवं पारदर्शिता बरतते हुए किया जाये। बोर्ड द्वारा इस आशय का भी निर्णय लिया गया कि उक्त भवनों के विक्रय/आवंटन का विज्ञापन दैनिक जागरण मेरठ व अमर उजाला मेरठ के अंकों प्रकाशित कराया जाये।

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

अनुपूरक मद संख्या-1

पल्लवपुरम् आवासीय योजना फेस-1 की पाकेट्स जी, सी, एच, व आई में मानकों से अधिक "शैक्षिक" भूमि पर " आवासीय" भूखण्डों के सृजन एवं तदनुसार तलपट मानचित्र/मेरठ महायोजना में संशोधन के सम्बन्ध में

पल्लवपुरम आवासीय योजना में पाकेट आई एवं एच तथा पाकेट जी में उपलब्ध शैक्षिक भूखण्डों में मानकों से अधिक क्षेत्रफल की भूमि पर आवासीय भूखण्डों के विकास के प्रस्ताव एवं पाकेट सी में उपलब्ध शैक्षिक भूखण्डों के आस-पास के पाकेट एच0 व आई में प्राईमरी/नर्सरी स्कूलों हेतु पर्याप्त स्थान होने तथा पल्लवपुरम योजना के आस-पास के क्षेत्र में कई स्कूल संचालित होने के कारण इस पाकेट में उपलब्ध आरक्षित शैक्षिक भूखण्ड को समाप्त कर आवासीय भूखण्डों के विकास के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान करते हुए ले-आउट में तदनुसार संशोधन के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की गयी।

अनुपूरक मद संख्या-2

स्पोर्टस गुड्स काम्पलैक्स योजना में मेरठ-दिल्ली मार्ग पर दर्शित लगभग 450 वर्ग मी0 के चार "आवासीय कम कार्यशाला" भूपयोग से "व्यावसायिक" भूपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति के संबंध में।

मेरठ विकास प्राधिकरण की स्पोटर्स गुड्स काम्पलैक्स योजना के अंतर्गत मेरठ-दिल्ली मार्ग को फेस करते हुए लगभग 450 वर्ग मी0 के चार भूखण्ड जिनका कि भूपयोग "आवासीय कम कार्यशाला" निर्धारित है, को मेरठ-दिल्ली मुख्य मार्ग पर स्थित होने के फलस्वरुप व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुपूरक मद संख्या-3

प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह के द्वारा अवगत कराया गया कि लोहिया नगर आवासीय योजना में लगभग एक वर्ष पूर्व 40 आवेदकों द्वारा भूखण्डों के आवंटन हेतु धनराशि जमा की गयी थी किन्तु उनके आवंटन के संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसपर माननीय बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि

यदि उक्त आवेदकगण वर्तमान प्रचलित आवासीय दर पर लोहिया नगर योजना में भूखण्ड लेने के लिए सहमति दे देते हैं तो उन्हें रिक्त भूखण्ड उपलब्धता के आधार पर आवंटित कर दिये जायें।

अनुपूरक मद संख्या–4

जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा इस आशय का प्रस्ताव दिया गया कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भूमि की उपलब्धता के होने पर छोटे–2 व्यवसायों यथा–नाई, दर्जी, सब्जी–फल, दूध व किराना आदि के लिए कन्वीनियेन्ट शाप्स की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए जिससे एक ओर तो योजनाओं में स्थित आवासीय भवनों कें व्यावसायिक रुप में परिवर्तित होने पर अंकुश लगेगा वहीं दूसरी ओर अल्प आय वर्ग के लोगों को राहत मिल सकेगी। प्राधिकरण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सहमति व्यक्त की गयी।

अनुपूरक मद संख्या–5

कैथोलिक डायेसिस ट्रस्ट ऑफ मेरठ के द्वारा सरधना रोड पर संचालित सैन्ट पीटर्स हायर सैकेन्ड्री स्कूल एवं चर्च की अधिग्रहीत भूमि के समायोजित करने के संबंध में

समय की अनुपलब्धता के दृष्टिगत उक्त प्रस्ताव डैफर किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन हुआ।

मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

संलग्नक–1

मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।

चिन्हित की जाने वाली अलोकप्रिय सम्पत्ति का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	अलोकप्रिय सम्पत्ति का विवरण			
		श्रेणी	पाकेट	उपलब्ध भवनों की कुल संख्या	उपलब्ध भवनों का नम्बर सहित विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	गंगानगर	एच0आई0जी0	ए	2	269, 273
		एच0आई0जी0	एच/ए	21	एच/ए–13 से 17, एच/ए–333, 334, 364, 365 (कैम्प कार्या.), 371, 372, 373,, एच/ए–375 से 383 तक।
		एच0आई0जी0	एच/सी	1	335
		एच0आई0जी0	आई/सी	18	आई/सी–28, 29, 30, 32, 213, 222, 223, 224, 228, 229, 287, 287/1, 288, 288/1, 290, 290/1, 291, 292.
		एच0आई0जी0	जे/सी	10	जे/सी–1 से 6 तक, जे/सी–140 से 143 तक।
		एम0आई0जी0	एल/ई	130	एल/ई–88 से 103 तक, एल/ई–103/1, एल/ई–106, एल/ई–107, एल/ई–110, एल/ई–117, एल/ई–117/1, एल/ई–118, एल/ई–121, एल/ई–122, एल/ई–126 से एल/ई–133 तक, एल/ई–136 से 142 तक, एल/ई–146, एल/ई–147, एल/ई–149 से एल/ई–160 तक, एल/ई–163 से एल/ई– 192 तक, एल/ई–192/1, एल/ई–193, एल/ई–193/1, एल/ई–194 से एल/ई– 202 तक, एल/ई–202/1, एल/ई–203 से एल/ई–213 तक, एल/ई–215 से एल/ई– 221 तक, एल/ई–221/1, एल/ई–221/4, एल/ई–222, एल/ई–223, एल/ई–224, एल/ई–224/1, एल/ई–224/2, एल/ई– 224/3, एल/ई–227 से एल/ई–234 तक।
		एम0आई0जी0	जे/एफ	1	जे/एफ–114
		एम0आई0जी0	जे/एफ	43	जे/एफ–106 से 111 तक, जे/एफ–111/1, 111/2, 112, 113, 116, 119, 120/1, जे/एफ–123 से 126 तक, जे/एफ–128, 180, जे/एफ–187 से 192 तक, जे/एफ–228, 229, 229/1, 229/2, जे/एफ–231 से 237 तक, जे/एफ–716 से 722 तक।
		एम0आई0जी0	जे/एफ	120	जे/एफ–102/2, जे/एफ–103, 104, 105, 115, 121, 138, जे/एफ–162 से 169 तक, जे/एफ–176 से

					179 तक, जे/एफ–184, जे/एफ–193 से 197 तक, जे/एफ–206 से 213 तक, जे/एफ–215 से 227 तक, जे/एफ–238 से 242 तक, जे/एफ–242/1, जे/एफ–245 से 253 तक, जे/एफ–272 से 287 तक, जे/एफ–287/1, जे/एफ–288 से 298 तक, जे/एफ–298/1, जे/एफ–580 से 597 तक, जे/एफ–600 से 608 तक, जे/एफ–713 से 715 तक।
		एम0आई0जी0	जे/एफ	2	जे/एफ–711 व 712
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल	12	522, 663, 682, 683, 703, 713, 751, 788, 798, 807, 110, 785
2.	सैनिक विहार	एम0आई0जी0	बी	71	बी–953, बी–660 से 664, बी–878, 883, 885, 887, 888, 889, 892, 893, 894, 896, बी–900 से 907, बी–934, 942, बी–950 से 953, बी–956 से 961, बी–963 से 997 तक।
		एल0आई0जी0	ए	69	ए–141 से 170 तक, ए–177 से 187 तक, ए–114 से 125 तक, ए–133 से 140 तक, ए–123, ए–126 से 132 तक।
		एल0आई0जी0	ए	72	ए–416 से 419, ए–430 से 433, ए–435 से 444, ए–446 से 476, ए–482 से 484, ए–503 से 508, ए–485, 486, ए–489 से 500, ए–502.
		एल0आई0जी0	सी	36	सी–154 से 189 तक।
		एल0आई0जी0	सी	123	सी–287 से 296, सी–299 से 320, सी–322 से 334, सी–337 से 341, सी–190 से 205, सी–205ए से 210, सी–210ए से 223, सी–273 से 286, सी–342 से 247, सी–347ए, 355, सी–355ए से 362 तक।
		एम0आई0जी0	सी	60	सी–451 से 480, सी–614 से 627, सी–632 से 642, सी–858 से 862 तक।
		ई0डब्ल्यू0एस0	ए	18	ए–259, 504, 220, 228, 229, 218, 239, 245, 332, 330, 328, 323, 318, 316, 312, 311, 310, 306.
		ई0डब्ल्यू0एस0	बी	26	बी–1124, 1128 से 1131, 1134, 1140, 1158, 1161, 1165, 1166, 1167, 1168, 1170, 1174, 1175, 1183, 1184, 1191, 1192, 1193, 1196, 1197, 1111, 1066.
3.	पल्लवपुरम	एम0आई0जी0	एन	14	एन–28, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 55, 64, 74, 125, 126, 141, 145.
		मिनी एम0आई0जी0	ओ	10	ओ–133 से 142 तक
		एल0आई0जी0	पी	2	पी–75, 20
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल ए	3	79, 86, 112
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल बी	2	94, 101
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल सी	3	34, 46, 55
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल डी	7	7, 29, 53, 57, 61, 62, 72
		ई0डब्ल्यू0एस0	एल ई	20	11, 12, 16, 19, 21, 38, 46, 61, 117, 119, 126, 135, 136, 141, 183, 193, 197, 205, 210, 245

उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

4.	श्रृद्धापुरी फेस–द्वितीय	एम0आई0जी0	इ	1	124
		एम0आई0जी0	इ	2	184, 187
		एल0आई0जी0	इ	1	387
		ई0डब्ल्यू0एस0	सी	92	86/5, 86/8, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 88/5, 88/6, 88/7, 89/2, 89/3, 89/4, 90/6, 90/8, 92/3, 92/5, 92/7, 92/8, 93/4, 93/5, 93/7, 94/5, 95/6, 96/5, 97/5, 97/6, 97/7, 98/1, 99/5, 99/8, 100/6, 100/8, 101/7, 102/6, 103/3, 104/2, 104/5, 104/7, 105/2, 105/8, 106/3, 106/5, 109/6, 110/1, 110/4, 110/8, 111/4, 111/5, 111/5, 111/7, 111/8, 112/1, 112/4, 114/6, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 123/1, 123/2, 123/5, 123/5, 123/7, 124/2, 124/5, 124/6, 124/7, 125/1, 125/8, 127/3, 127/7, 129/7, 130/3, 131/1, 131/1, 131/5, 131/6, 133/1, 133/2, 133/4, 134/4, 135/1, 135/2, 136/1, 137/1, 138/3, 138/6, 139/1, 139/5, 140/1, 141/2, 141/6, 143/1

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ